परिशिष्ट - 'अ'

[28/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 223]

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल

Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhavan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
00
Email:- ad.tkb@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

<u>विधानसभा–तत्काल</u>

क्रमांक / शाखा–2 / बडनगर. / वि.स.–2 / 2020 / 20167 — भोपाल दिनांक 18-12-2020

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, बडनगर,
जिला उज्जैन म.प्र.

विषयः–नगरपालिका बडनगर में सरस्वती शिशु मंदिर की लीज नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–संचालनालय का पत्र क्रमांक 12178 दिनांक 28.06.18

––000––

विषयांकित प्रकरण में आपके पत्र क्रमांक 2377 दिनांक 17.12.2020 द्वारा विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 223 (सत्र दिसंबर 2020) प्रेषित उत्तर में लेख किया गया है कि नगर पालिका परिषद् बडनगर के ठहराव क्रमांक 170 दिनांक 17.05.12 द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर को 35 माह की लीज पर भवन दिया गया था तथा उक्त प्रस्ताव में ही उक्त भवन को 30 वर्ष की लीज पर दिये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजे जाने की स्वीकृति दी गई थी।

आपके द्वारा प्रेषित उक्त प्रस्ताव के आधार पर संचालनालय के पत्र क्रमांक 12178 दिनांक 28.06.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपको अवगत कराया गया था कि मध्यप्रदेश नगर पालिका (अचल संपत्ति अंतरण) नियम 2016 के नियम 7 के तहत पट्टे पर दी गई। संपत्ति की लीज नवीनीकरण करने का अधिकार निकाय की परिषद् में वैष्ठित है। अतः प्रकरण का परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देश के पालन मे आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, स्थिति स्पष्ट करते हुये वस्तुस्थिति संबंधित प्रतिवेदन तत्काल प्रेषित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(हस्ताक्षर) 18.12

(आर. के कार्तिकेय)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक / शाखा–2 / बडनगर. / 2020 / 20168 — भोपाल, दिनांक 18-12-2020

प्रतिलिपिः–

संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 18.12

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

कार्यालय नगरपालिका परिषद,बड़नगर परिशिष्ट - 'ब'

जिला–उज्जैन म0प्र0

E-mail:-cmobadnagar@mpurban.gov.in phone no.-: 07367-225060

क्रमांक - 697 /2020 बड़नगरदिनांक– 29.2.20

सूचना–पत्र

प्रति,

अध्यक्ष

माहिला एवं बाल कल्याण समिति

(सरस्वती शिशु मंदिर) बड़नगर।

विषयः– नगर पालिका स्वामित्व के भूमि/भवन रिक्त रिक्त कर आधिपत्य नगर पालिका को सुपुर्द किये जाने के संबंध में

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है निकाय द्वारा नगर पालिका स्वामित्व कि भवन/भूमि आपको अस्थाई लीज मासिक किराये पर दी गई है जिसकी अवधि 17.04.2015 को पूर्ण हो चुकि है इस संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि आप तत्काल 7 दिवस के अंदर उपरोक्त भवन/भूमि रिक्त कर नगर पालिका को आधिपत्य सौपे अन्यथा कि स्थिति में नगर पालिका द्वारा भवन/भूमि रिक्त कराया जाकर होने वाले समस्त व्यय कि वसूली आपसे कि जावेगी। सूचित होवे।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद,बड़नगर

पृ0क0– /2020 दिनांक– 29.2.2020

प्रतिलिपिः–

(1) कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन कि ओर सूचनार्थ।
(2) अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) बड़नगर की ओर सूचनार्थ ।
(3) सयुक्त संचालक महोदय नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन संभाग उज्जैन कि ओर सूचनार्थ।
(4) परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद,बड़नगर

2020

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् बड़नगर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
... विकास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट 'स'

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Sto
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
00
Email:- ad.tkb@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्रमांक / शाखा–2 / बडनगर. / 2020 / 19962 भोपाल दिनांक 16-12-20

प्रति,

संभागीय संयुक्त संचालक,
नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन,
मध्यप्रदेश।

विषयः–नगरपालिका बडनगर में सरस्वती शिशु मंदिर की लीज नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भः–विधानसभा प्रश्न क्रमांक 223 सत्र दिसंबर 2020।

----000----

विषयांतर्गत संदर्भित विधानसभा प्रश्न का मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पलिका परिषद बडनगर जिला उज्जैन का आपके माध्यम से प्रेषित उत्तर के प्रश्नांश "ग" जिसमें पूछा गया है कि करोडो की शासन की संपत्ति समय अवधि पूर्ण होने पर भी खाली नहीं कराने के संबंध में कौन–कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है? सरकार इन पर क्या कार्यवाही करेगी, उत्तर में "शासन से संबंधित है", का लेख किया गया है जो सही नहीं है।

उक्त विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश क के उत्तर में सरस्वती शिशु मंदिर की लीज अवधि दिनांक 17.04.2015 को समाप्त होने का लेख किया गया है। लीज अवधि समाप्त होने के बाद भी लीज नवीनीकरण अथवा नवीनीकरण न करने की दशा में भूमि का अधिपत्य वापस लेने के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अभीतक भूमि खाली नहीं करवाने के लिए कौन–कौन अधिकारी / पदाधिकारी उत्तरदायी है, कृपया जांच कर स्पष्ट प्रतिवेदन एक सप्ताह की समय सीमा में प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आर. के कर्तिकेय)
संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक / शाखा– 2 / बडनगर. / 2020 / 19963 भोपाल, दिनांक 16-12-20

प्रतिलिपिः–

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् बडनगर जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ

संयुक्त संचालक
नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग